was committed is never brought in the record. Therefore, my suggestion is that all these offences may be made non-bailable and proper entries made when the First Information Report is given to the police station. Otherwise it will be very difficult. Anybody can go and approach the police station against the person concerned who is bailed out and all these multiple offences arise. Therefore, I suggest that whenever a complaint is lodged with the police station it may be taken as it is given by the person concerned and the offences may be made non-bailable.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is being considered. I may tell for the information of the hon. House that various provisions have already been made stringent by amending the Act in respect of Punjab.

MR. CHAIRMAN: Next question. This is a Question Hour, not 'Suggestion Hour'.

M/s. I.T.C. Limited

*63. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have taken any action against M/s. Indian Tobacco Company Limited for setting up two small scale units without proper licence; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Small Scale industrial undertakings and ancillary industrial undertakings are exempted from the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. However, these exemptions are not available to a small scale industrial unit or an ancillary which is a subsidiary of or owned or controlled by any other undertaking.

In view of this position M/s. Indian Tobacco Company Limited would not be exempted from the licensing provisions of the Act if they were to set up any small scale industrial undertking as defined under the Act.

According to a recent study carried out by the Indian Institute of Public Administration, M/s. ITC has set up two small scale units.

This is being looked into.

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, एक तरफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने काफी व्यवस्था की है। छोटे उद्योगों को बड़े उद्योग हड़प न जाएं इसके लिए सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इण्डियन तम्बाकू कम्पनी ने दो तरह की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की है बिना लाइसेंस के, अतः आई०डी०आर० एक्ट और एम०आर०टी०पी० एक्ट का भी उल्लंघन इसके अन्तर्गत आ जाता है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह प्रोडक्शन केपेसिटी क्या है और यह अनलाइसेंस्ड जो स्थापना की है आप कब तक उसकी छानबीन कर लेंगे? इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि इण्डियन तम्बाकू कम्पनी ने अपनी इंसीलेरी यूनिट्स भी कई जगहों पर लगा रखी है और वहां से माल भी मंगवाते हैं और ओवर-प्रोडक्शन भी यह कर रहे हैं, ओवर पेकेजिंग भी कर रहें हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी भी छानबीन करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मुझे ज्ञात है कि माननीय सदस्य को इस विशेष प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में काफी चिन्ता है और मैंने इसीलिए तारीख 15 मार्च और 22 मार्च को अतारांकित प्रश्नों के जरिये और 8 मार्च को तारांकित प्रश्न के जरिये उनकी जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयत्न किया। आज भी उन्होंने प्रश्न पूछा है उसके तद्नुरूप मैंने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। सारी बातों की जांच हो रही है। एक समिति का गठन

होगा; यह मैं पहले भी सम्मानित सदन को बता चुका हूं। वह समिति 5 अप्रैल को गठित हो चुकी है। वह समिति इस प्रकार के सही तथ्य जो इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में होंगे, सभी आंकड़ों और तथ्यों को वह समिति देखेगी और उसके आधार पर वह कार्यवाही करेगी। हम प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों को लिख रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की युनिट्स का रजिस्ट्रेशन सामान्यता प्रदेश स्तर पर होता है। हमने उन से कहा है कि इस प्रकार के जो सभी प्रतिष्ठान हैं वे उनकी छानबीन करें। नियमों, परम्पराओं और अधिनियम की मान्यता के विरुद्ध यदि कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हुआ हैं तो उस पर वह कानूनी कार्यवाही करें। मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। जहां तक इन दो कम्पनियों का प्रश्न है; जो प्रारम्भिक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर टफ टूल्ज प्राइवेट लिमिटेड, यह जो मेज है उसको लगाने और कसने का जिग होता है वह वाइस कहलाता है उसको बनाते हैं। उन्होंने यह कहा है कि उनकी जो इक्विटी है वह 10% से कम है। उसमें नियमों के अन्तर्गत यह सम्भव है और उन्होंने यह कहा है कि अब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया है। बहुत छोटी धनराशि है यह उन्होंने कहा है। जहां तक दूसरी कम्पनी त्रिवेणी हैंडलूम्स का प्रश्न है इसमें भी 10% शेयर होल्डिंग साढ़े तैंतीस परसेंट से कम है कुल मिला कर उनकी सबसिडियेरीज की और यह कारपेट बनाते है और इनका एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। कहते हैं कि हमारा इस में कोई सीधा इंटर-कनेक्शन कानून के आधार पर नहीं है और न बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में कोई कंट्रोल है। यह जो तथ्य कम्पनियों की ओर से दिया गया है यह समिति उनकी भी जांच करेगी जिनका मैंने उल्लेख किया है।

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने मेरे पिछले प्रश्नों का भी हवाला दिया है कि इस के सम्बन्ध में उनके ऊपर कार्यवाही की है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यवाही नहीं की गई है सिर्फ वार्निंग दे कर के छोड़ दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर जो इन्होंने जवाब दिया है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की स्थापना उन्होने कर ली है इसका जवाब वे रिपोर्ट आने पर देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट के अन्तर्गत उनको क्या सजा देंगे। उनको सजा ही देंगे या फिर वार्निंग दे कर के छोड़ देंगे ? इसके बाद क्या यह सही है कि जो आपने कहा है किसी दूसरे को बेच दिया है। मेरा कहना यह है कि दूसरे को नहीं बेचा है। वह इनका अपना ही एग्जीक्युटिव है, डायरेक्टर है, सब है, सब चीज इन्हीं की है। एग्जीक्युटिव या बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज के नाम से दिखला दिया है। इन दो के इलावा इनको अपनी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आप इस सारे मामले की छानबीन करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जिस समिति के विषय में मैंने अभी सूचित किया है वह अवश्य इस बात को देखेगी। जहां तक वार्निंग दे कर छोड़ने की बात है मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जो कम्पनी अफेयर्ज विभाग है सामान्यता उसके हाथ में बहुत से अधिकार हैं वह कम्पनीज एक्ट या दूसरे जो एक्ट हैं उनके अन्तर्गत कार्यवाही करे। इसलिए यह हमारे से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि कम्पनी अफेयर्ज विभाग से भी सम्बन्धित हैं मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को उस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister the names of the Members of the Committee and whether a time limit has been fixed for the submission of the report of the Committee.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Shri R. N. Chopra, Additional Secretary, Department of Industrial Development is the Chairman of this Committee. Shri S. L. Kapur, Joint Secretary, Licensing, a Joint Secretary from the Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, and a Joint Secretary in the Ministry of Finance, are the members and Shri K. C. Shrivastava, Joint Development Commissioner in the small-scale industries, is the convener. So, this Committee has been set up by the 5th April and it is expected that it would submit its report, because there are many facets of the problem, within three months.

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, उस समिति में दो-चार एम० पी० भी रख लें ।

श्री सभापति : इरादा तो बड़ा नेक है लेकिन शायद न होगा आपका नाम ।

Setting up of Planning Bodies in States and Union Territories

*64. SHRI SHRIKANT VERMA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up planning bodies on the pattern of Planning Commission in all the States and Union Territories; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b) While the Planning Commission has no proposal to set up planning bodies on the pattern of the Planning Commission in all the States/Union Territories, it had requested all the States as early as in 1971 to set up State Planning Boards in the best interests of integrated national planning. In pursuance of this, most of the States have established State level Planning Bodies known variously as State Planning Commissions, State Planning Board or State Development Board, etc.

श्री श्रीकांत वर्मा : सभापति महोदय, पिछले 30–35 वर्षों में देश में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास हुआ है लेकिन यह भी सही है कि राज्यों की अपनी कुछ समस्याएं हैं और राज्यों की अपनी शिकायतें हैं और विषमता को जिस हद तक दूर होना चाहिए था उस हद तक दूर नहीं हो सकी हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि योजना आयोग अति केन्द्रित है और उसकी दिशा उपभोक्ता समाज की ओर है । बहुत हद तक उसका ओरिएंटेशन कन्ज्यूमर सोसाइटी की ओर है । इस स्थिति को राष्ट्रीय विकास के 35 वर्षों के बाद बदलने की आज आवश्यकता आ पड़ी है और वैसे भी किसी भी संस्था को अपने अस्तित्व पर, अपने ढांचे पर 30–35 साल के बाद पुनर्विचार करना चाहिए और योजना आयोग को विशेष रूप से क्योंकि योजना आयोग दिशा निर्धारण करता है । मंत्री महोदय ने कहा कि मोटे तौर पर ढांचा मौजूद है, पर मोटे तौर पर राज्यों में सिर्फ ढांचा होने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि योजना वस्तुत: जब तक निचले स्तरों से आरम्भ नहीं होती तब तक उसका लाभ बहुत बड़े समाज तक बहुजन तक नहीं पहुंचता । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह जानने का प्रयत्न पिछले कुछ वर्षों में राज्यों ने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने 71 से नाम लिया, राज्यों में जिन प्लानिंग बाडीज की उन्होंने स्थापना की वे किस तरह से कार्य कर रही हैं क्या वे ठीक ठीक योजना आयोग की तरह ही कार्य कर रही हैं या कि उनका कार्य सिर्फ सलाह देना है ? अगर सलाह देना है तो फिर जो ये सलाहकार